भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं.1734

जिसका उत्तर 28.11.2019 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर अभिघात केन्द्रों की स्थापना

1734. डॉ॰ ढालसिंह बिसेनः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सड़क परिवहन विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों (एन॰एच॰) पर अभिघात केन्द्र खोलने को कोई प्रावधान है;
(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर खोले गए अभिघात केन्द्रों का ब्यौरा क्या है तथा इन अभिघात केन्द्रों का निर्माण कार्य स्थान-वार किन तिथियों को पूरा किया गया;
(ग) क्या ये अभिघात केन्द्र चालू हो गए हैं और यदि हां ,तो तिथि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन्हें कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है;
(ङ) इन अभिघात केन्द्रों में स्वीकृत और पदस्थापित संख्या का ब्यौरा क्या है;
(च) क्या इन पदों को राज्य सरकारों द्वारा भरा जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा लागत साझाकरण का स्वरूप क्या है; और
(छ) क्या राज्य सरकार द्वारा इन केन्द्रों को संचालित करने में अक्षम होने पर केन्द्र सरकार डॉक्टरों की भर्ती करके इन अभिघात केन्द्रों को संचालित करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क): जी नहीं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण तथा रख-रखाव के कार्य के साथ अधिदेशित है।

(ख) से (छ): प्रश्न नहीं उठता।

*****